आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
6-02-16 / 3-03-16	न्यायालय समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, लखीसराय (जिला विधि शाखा) समपहरण वाद संख्या–08 / 2007–08 राज्य बनाम निरजेन्द्र कुमार यादव **आदेश** उक्त समपहरण वाद रामगढ़ चौक थाना कांड सं0–75 / 07 दिनांक–13.08.2007 के आलोक में संधारित किया गया है। जिसके अंतर्गत जप्त 25 लीटर किरासन तेल जप्त हुआ है। जप्त किरासन निरजेन्द्र कुमार यादव, पे0–पैरू यादव, ग्राम–इटहरी, थाना–चानन, जिला–लखीसराय का बताया गया है, जो रामगढ़ चौक पर हार्डवेयर के दुकान में कालाबाजारी के उद्वेश्य से नीला किरासन तेल का कालाबाजारी कर रहा था, परन्तु गुप्त सूचना के आधार पर एस0एन0 झा, अनुमंडल पदाधिकारी, लखीसराय द्वारा जप्त कर लिया गया। तत्पश्चात इस न्यायालय के आदेश ज्ञापांक–439 / विधि, दिनांक–04.10.2007 द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, लखीसराय को जप्त खाद्यान्न को नीलाम कर प्राप्त राशि उचित शीर्ष में जमा करने का आदेश दिया गया। तद्नुसार अनुमंडलाधिकारी, लखीसराय के पत्रांक–586 / आ0, दिनांक–07.07.2010 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि जप्त 25 लीटर किरासन को नीलाम कर प्राप्त राशि मो0 238=00(दो सौ अड़तीस) रू0 मात्र अनुमंडल नजारत में जमा कर दिया गया है विपक्षी निरजेन्द्र कुमार यादव को इस न्यायालय ज्ञापांक–444 / विधि, दिनांक–04.10.2007 द्वारा नोटिस निबंधित डाक से भेजा गया, परन्तु कभी भी विपक्षी के द्वारा उपस्थिति नही दिया गया। उपरोक्त तथ्यों के आलोक से स्पष्ट है कि विपक्षी को वाद की कार्यवाही में कोई अभिरूचि नहीं है। अतः उपरोक्त जप्त किरासन तेल की राशि को समपहृत करते हुए वाद की कार्यवाही निष्पादित की जाती है। आदेश की प्रति अनुमंडल पदाधिकारी, लखीसराय को भेजें तथा इस आदेश की प्रति लखीसराय जिला के वेबसाईट पर भी प्रकाशनार्थ भेजे। लेखापित / संशोधित 3/3/16 जिला दण्डाधिकारी, लखीसराय। 3/3/16 जिला दण्डाधिकारी, लखीसराय। ज्ञापांक– 157– विधि, दिनांक– 03-03-16 प्रतिलिपि :– अनुमंडल पदाधिकारी, लखीसराय / जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, सूचना विज्ञान केन्द्र, लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। 3/3/16 जिला दण्डाधिकारी, लखीसराय।	